छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग,
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

//अधिसूचना//

नया रायपुर, दिनांक 30.06.17

क्रमांक एफ 11–2/2011/16 :– छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) के अंतर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 11–2/2011/16, दिनांक 16.12.2011 को अतिक्रमित करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय–सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात् :–

अनुसूची

स. क्र.	कार्यालय/निकाय/अभिकरण का नाम	छ0ग0 लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जाती है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्रमायुक्त कार्यालय	1. छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 के तहत समझौता, ठहराव अवार्ड का पंजीयन	30 कार्य दिवस	पंजीयक	श्रमायुक्त	सचिव
	श्रमायुक्त कार्यालय के अंतर्गत समस्त मैदानी कार्यालय	2. इंदिरा कृषि श्रमिक क्षतिपूर्ति दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पर स्वीकृति का कार्य	45 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	श्रमायुक्त
	श्रमायुक्त कार्यालय के अंतर्गत समस्त मैदानी कार्यालय	3. ठेका श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत पंजीयन/पंजीयन में संशोधन, अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्ति में संशोधन, अनुज्ञप्ति का नवकरण करना	15 कार्य दिवस	सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी	उप श्रमायुक्त	श्रमायुक्त
	श्रमायुक्त कार्यालय के अंतर्गत समस्त मैदानी कार्यालय	4. अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 के अंतर्गत पंजीयन/पंजीयन में संशोधन, अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्ति में संशोधन, अनुज्ञप्ति का नवकरण करना	15 कार्य दिवस	सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी	उप श्रमायुक्त	श्रमायुक्त
	श्रमायुक्त कार्यालय के अंतर्गत समस्त मैदानी कार्यालय	5. मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के अंतर्गत पंजीयन/पंजीयन का संशोधन करना	15 कार्य दिवस	सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी	उप श्रमायुक्त	श्रमायुक्त
	श्रमायुक्त कार्यालय के अंतर्गत समस्त मैदानी कार्यालय	6. बीड़ी सिगार कर्मकार (नियोजन का शर्तें) अधिनियम, 1966 के अंतर्गत पंजीयन/पंजीयन का संशोधन करना	15 कार्य दिवस	सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी	उप श्रमायुक्त	श्रमायुक्त

क्रमशः 2

	श्रमायुक्त कार्यालय के अंतर्गत समस्त मैदानी कार्यालय	7. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत पंजीयन/पंजीयन का संशोधन करना	15 कार्य दिवस	सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी	उप श्रमायुक्त	श्रमायुक्त
2.	संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा समस्त जिला कार्यालय	1. प्राणांतक दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर, घटना स्थल की जॉच	07 कार्य दिवस	सहायक संचालक	उप संचालक	संचालक
	संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा समस्त जिला कार्यालय	2. प्राणांतक दुर्घटना स्थल की जॉच कर प्रतिवेदन देने हेतु	07 कार्य दिवस	सहायक संचालक	उप संचालक	संचालक
	संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा समस्त जिला कार्यालय	3. गंभीर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर, घटना स्थल की जॉच	15 कार्य दिवस	सहायक संचालक	उप संचालक	संचालक
	संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा समस्त जिला कार्यालय	4. गंभीर दुर्घटना की स्थल की जॉच कर प्रतिवेदन देने हेतु	15 कार्य दिवस	सहायक संचालक	उप संचालक	संचालक
	संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा समस्त जिला कार्यालय	5. शिकायत की जॉच कर प्रतिवेदन देने हेतु	30 कार्य दिवस	सहायक संचालक	उप संचालक	संचालक
	संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	6. नक्शा का अनुमोदन एवं निर्माण/विस्तार या किसी भवन को कारखाने के रूप में उपयोग करने हेतु अनुज्ञप्ति (20 या 20 से अधिक नियोजन के संदर्भ में)	15 कार्य दिवस	श्रमायुक्त/मुख्य कारखाना निरीक्षक	सचिव	भारसाधक मंत्री
	संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा समस्त जिला कार्यालय	7. नक्शा का अनुमोदन एवं निर्माण/विस्तार या किसी भवन को कारखाने के रूप में उपयोग करने हेतु अनुज्ञप्ति (20 से कम नियोजन के संदर्भ में)	15 कार्य दिवस	उप संचालक/सहायक संचालक	श्रमायुक्त/मुख्य कारखाना निरीक्षक	सचिव
3	छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल	1. हितग्राहियों के पंजीयन	15 कार्य दिवस	श्रम निरीक्षक/उप श्रम निरीक्षक	सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/जिन जिलों में श्रम विभाग के कार्यालय स्थापित न हो वहां पर जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी	सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल
	छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल	2. भगिनी प्रसूति सहायता योजना	15 कार्य दिवस	सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/जिन जिलों में श्रम विभाग के कार्यालय स्थापित न हो वहां पर जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी	सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल	श्रमायुक्त/मुख्य निरीक्षक, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1996

क्रमशः 3

	छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल	3. राजमाता विजयाराजे सामूहिक विवाह योजना	15 कार्य दिवस	सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / जिन जिलों में श्रम विभाग के कार्यालय स्थापित न हो वहां पर जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी	सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल	श्रमायुक्त / मुख्य निरीक्षक, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1996
	छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल	4. विश्वकर्मा मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना	15 कार्य दिवस	सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / जिन जिलों में श्रम विभाग के कार्यालय स्थापित न हो वहां पर जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी	सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल	श्रमायुक्त / मुख्य निरीक्षक, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1996
4	छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल	5. बालिका विवाह सहायता योजना	15 कार्य दिवस	कल्याण आयुक्त	संयुक्त सचिव / उप सचिव	सचिव श्रम
	छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल	6. मृत्यु सहायता योजना	07 कार्य दिवस	कल्याण आयुक्त	संयुक्त सचिव / उप सचिव	सचिव श्रम
5.	कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें	1. औषधालय स्तर पर परीक्षण एवं उपलब्ध औषधियों का प्रदाय	03 कार्य दिवस	औषधालय स्तर का प्रभारी अधिकारी	बीमा चिकित्सा पदाधिकारी प्रभारी केन्द्र	संचालनालय में पदस्थ वरिष्ठ बीमा चिकित्सा पदाधिकारी / उप संचालक / संचालक
	कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें	2. औषधालय स्तर पर बीमित व्यक्तियों के पुनर्भुगतान / अग्रिम के प्रकरणों का निराकरण	15 कार्य दिवस	औषधालय स्तर का प्रभारी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी	बीमा चिकित्सा पदाधिकारी प्रभारी केन्द्र	संचालनालय में पदस्थ वरिष्ठ बीमा चिकित्सा पदाधिकारी / उप संचालक / संचालक
	कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें	3. संचालनालय स्तर पर बीमित व्यक्तियों के पुनर्भुगतान / अग्रिम के प्रकरणों का निराकरण	15 कार्य दिवस	संचालनालय में पदस्थ कार्यालय अधीक्षक / वरिष्ठ बीमा चिकित्सा पदाधिकारी / उप संचालक	संचालनालय के वरिष्ठ बीमा चिकित्सा पदाधिकारी / उप संचालक	संचालक
6.	नगरीय विकास विभाग के अंतर्गत स्थानीय निकाय	छ0ग0 दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 6 के अंतर्गत पंजीयन व प्रमाण पत्र जारी करना / नवीनीकरण करना, धारा 7 के अंतर्गत संशोधन करना तथा धारा 8 के अंतर्गत अपंजीकरण करना.	24 घंटे	स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	संबंधित जिला के सहायक श्रमायुक्त / श्रम अधिकारी	उप श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय

यह अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

30/6/17

(याकुब खेस्स)
उप सचिव,
छत्तीसगढ शासन, श्रम विभाग

क्रमशः 4

पृष्ठांकन एफ 11–2/2011/16 नया रायपुर, दिनांक 30.06.17

प्रतिलिपि :–

01. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)।

02. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)।

03. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड–03, नया रायपुर (छ0ग0)।

04. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर (छ0ग0)।

05. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।

06. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, नया रायपुर (छ0ग0)।

07. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें, नया रायपुर (छ0ग0)।

08. संचालक, संचालनालय, औ0स्वा0 एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)।

09. समस्त कलेक्टर, जिला– .... (छ0ग0)।

10. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी कार्यालय .... (छ0ग0)।

11. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय .... (छ0ग0)।

12. संचालक, जनसंपर्क विभाग, इंद्रावती भवन, नया रायपुर की

ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।

13. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित कर लेख है कि कृपया प्रकाशित राजपत्र की 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

14. गार्ड फाईल।

30/6/17

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग